प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 296 सन 2022

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. नरेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. दयासुख पुत्र तिलोकाराम जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
3. सन्तोष पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
4. अनुसईया पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
5. शिलोचना पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7. रामजीलाल पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. ताराचन्द पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
9. सुखी देवी पत्नी जगदीश जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
10. गायत्री पुत्री जगदीश पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
11. निरकार पुत्री जगदीश पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
12. केसर पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
13. किरण पुत्री गुडडी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।
14. कविता पुत्री गुडडी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
15. मनेष पुत्री गुडडी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
16. सीताराम पुत्र गुडडी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.4150हैक में से 8537/34150 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा तिलोकाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 16 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्तक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी के चाचा है एव प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी के चाचा जगदीश के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 12 वादी की बुआ है एव प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 वादी की मृतक बुआ गुडडी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है।

सहा. अधिकारी

इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता तिलोकाराम ने वाद भूमि पैतृक सम्पति की आय एवं अन्य कृषि भूमि की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र/भतिजों वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.4150हैक में से 8537/34150 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा तिलोकाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 16 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्तक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी के चाचा है एव प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी के चाचा जगदीश के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 12 वादी की बुआ है एव प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 वादी की मृतक बुआ गुडडी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकेबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 648 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति

उप खण्ड अधिकारी
नोहर

/राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 648 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने बंटवाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.4150हैव में से 8537/34150 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादीगण के पूर्वज तिलोकाराम ने वाद भूमि पैतृक सम्पति की आय एवं अन्य कृषि भूमि की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 का बराबर का हक हिस्सा है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि पारिवारिक समझौता के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 7 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 7 ता 16 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.4150हैव में से 8537/34150 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिय का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जयवीर पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नरेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 दयासुख पुत्र तिलोकाराम जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।
2 कृष्ण कुमार पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
3 सन्तोष पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
4 अनुसईया पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
5 सिलोचना पुत्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7 रामजीलाल पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।
8 ताराचन्द पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
9 सुखी देवी पत्नी जगदीश जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
10 गायत्री पुत्री जगदीश पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
11 निरकार पुत्री जगदीश पुत्र दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
12 केसर पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
13 किरण पुत्री गुडडी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर।
14 कविता पुत्री गुडडी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
15 मनेष पुत्री गुडडी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
16 सीताराम पुत्र गुडउी पुत्री दयासुख जाति सुथार निवासी जसाना तहसील नोहर
17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 286 सन 2022 निर्णय दिनांक– 25/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.4150हैक में से 8537/34150 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट परलीका